बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–3/स्था0 अं0 अ0 (स्था0/पद0) –23/2013–460 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक–10-12-13

राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–96 दिनांक–26.03.2010 एवं शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या–100 दिनांक– 27.03.2010 द्वारा अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कर्मियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होने के कारण यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के स्तर से तैयार विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय कर्मियों के अनुमोदित पैनल से कर्मियों को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर अन्तरिम कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापन किया जाएगा।

तद्नुसार ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त पैनल के श्री अरूण कुमार, (RDD/000255), गृह जिला–बेगूसराय, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण को अंचल अधिकारी, गम्हरिया, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. श्री कुमार पर वही सेवा शर्तें लागू रहेंगी जो ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा चयनित कर्मियों के लिए निर्धारित की गयी है।

4. कार्यहित में श्री कुमार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वैधानिक एवं प्रशासनिक आयामों के परिप्रेक्ष्य में बिपार्ड (BIPARD) के माध्यम से आवश्यकतानुसार औपचारिक उन्मुखीकरण किया जाएगा।

5. सम्बन्धित समाहर्त्ता से अनुरोध है कि वे श्री कुमार को नवपदस्थापित पद एवं स्थान पर योगदान देने हेतु अविलम्ब अपने स्तर से विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/12/13
(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–3/स्था0 अं0 अ0 (स्था0/पद0) –23/2013–(3)/रा0, 460(3) पटना–15, दिनांक–10-12-13

प्रतिलिपि–सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/निबन्धक, सहयोग समितियाँ, बिहार/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बन्धित समाहर्त्ता/सम्बन्धित महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक (कम्फेड/बी0 पी0 एम0 यू0) /सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/13
(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव